सत्यमेव जयते

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

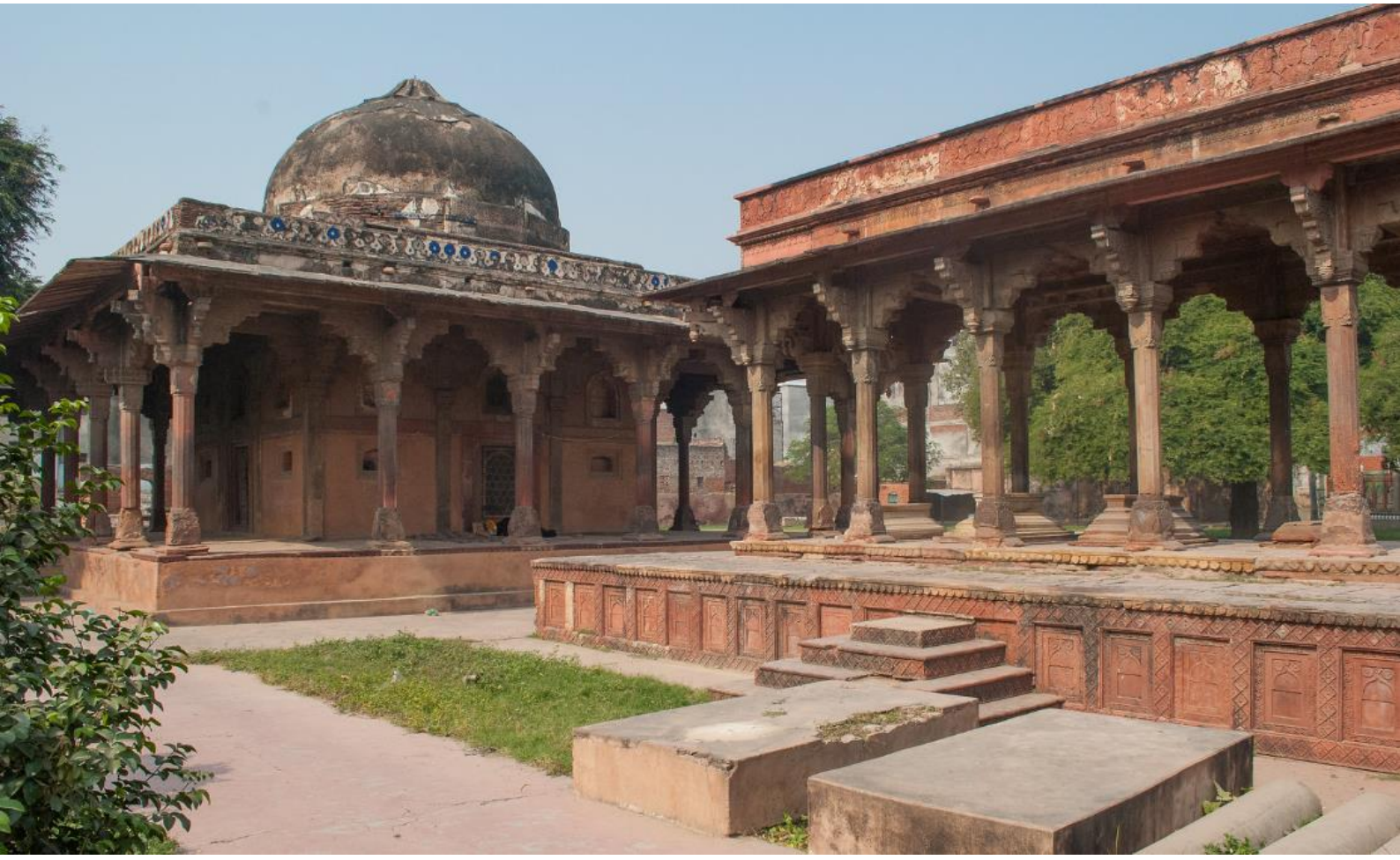

नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for the Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh

नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for the Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh

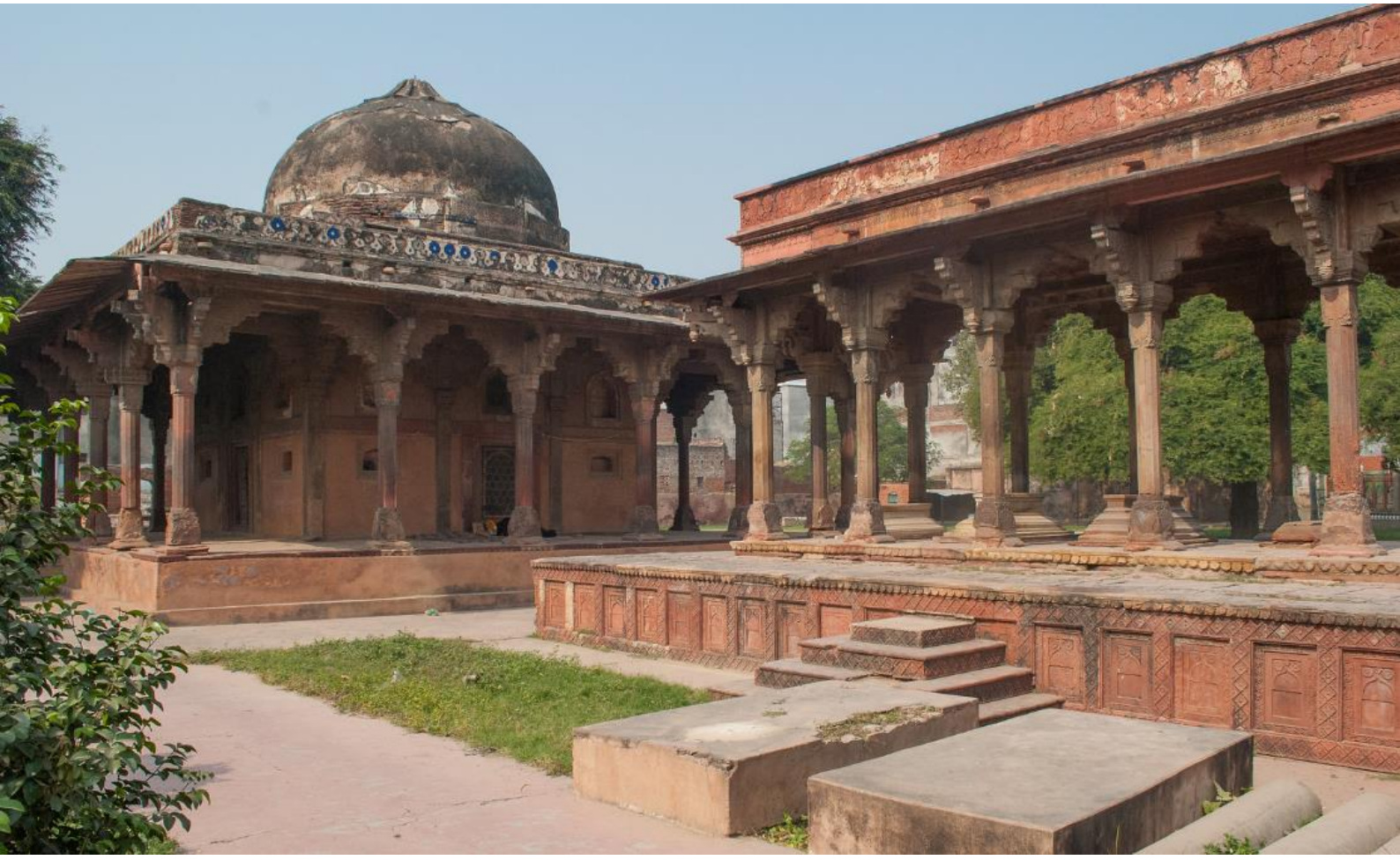

विषय – सूची

अध्याय 1 प्रारंभिक		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
1.2	परिभाषाएं	2-3
अध्याय 2 प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय 3 संरक्षित संस्मारकों – नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश का स्थान और अवस्थिति		
3.1	संस्मारकों का स्थान और अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारकों की संरक्षित सीमा	7
	3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना	7
3.3	संस्मारकों का इतिहास	7-8
3.4	संस्मारकों का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि)	8
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारकों की स्थिति-स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या	9
अध्याय 4 स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो		
4.1	मौजूदा ज़ोनिंग	10
4.2	स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश	10
अध्याय 5 प्रथम अनुसूची एवं सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना		
5.1	संस्मारकों की सर्वेक्षण योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11

	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण	12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि	12
	5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊँचाई	12
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन यदि उपलब्ध हों	12
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	13
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	13
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग	13
अध्याय 6 संस्मारकों की वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संस्मारकों की संवेदनशीलता	14
6.3	संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14
6.4	पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग	14-15
6.5	संरक्षित संस्मारकों के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर	15
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	15
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	15
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ	15
6.10	संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	15
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	15
6.12	स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा उपलब्ध विकास योजना	16
6.13	अनुमेय भवन संबंधी मापदंड	16
	6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में)	16
	6.13.2 पुनर्निर्माण	16-17
	6.13.3 नया निर्माण	17-19
6.14	आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन	19
अध्याय 7 स्थल विशिष्ट सिफारिशें		
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	20
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	20

CONTENTS		
CHAPTER 1 PRELIMINARY		
1.1	Short title, Extent and Commencements	21
1.2	Definitions	22-23
CHAPTER 2 Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended		
2.1	Background of the Act	24
2.2	Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws	24
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	24-25
CHAPTER 3 Location and Setting of Protected Monuments - Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh		
3.1	Location and Setting of the Monuments	26-27
3.2	Protected boundary of the Monuments	27
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	27
3.3	History of the Monuments	27-28
3.4	Description of Monuments (architectural features, elements, materials etc.)	28
3.5	Current Status	28
	3.5.1 Condition of the Monuments - condition assessment	28
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	29
CHAPTER 4 Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	30
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	30
CHAPTER 5 Information as per First Schedule and Survey Plan		
5.1	Survey Plan of Monuments	31
5.2	Analysis of surveyed data	31
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	31
	5.2.2 Description of built-up area	31-32
	5.2.3 Description of green/open spaces	32
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.	32
	5.2.5 Existing Heights of buildings	32
	5.2.6 State protected monuments and listed heritage building	33
	5.2.7 Public amenities	33

	5.2.8 Access to the Monuments	33
	5.2.9 Infrastructure services	33
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per Local Bodies	33
CHAPTER 6 Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments		
6.1	Architectural, Historical and Archaeological Value	34
6.2	Sensitivity of the Monuments	34
6.3	Visibility from the Protected Monuments or area and visibility from Regulated Area	34
6.4	Land-use to be identified	34-35
6.5	Archaeological heritage remains other than Protected Monuments	35
6.6	Cultural landscapes	35
6.7	Significant natural landscapes	35
6.8	Usage of open space and constructions	35
6.9	Traditional, historical and cultural activities	35
6.10	Skyline as visible from the monuments and from Regulated Areas	35
6.11	Traditional architecture	35
6.12	Developmental plan, as available, by the local authorities	36
6.13	Permissible Building related parameters	36
	6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated Area)	36
	6.13.2 Reconstruction	36-37
	6.13.3 New Construction	37-38
6.14	Visitor facilities and amenities	38
CHAPTER 7 Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	39
7.2	Other Recommendations	39

Annexure		
अनुलग्नक-I Annexure-I	नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना Survey Plan of Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh	40
अनुलग्नक-II Annexure-II	संस्मारकों की अधिसूचना Notification of the Monuments	41-43
अनुलग्नक-III Annexure–III	नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दर्शाने वाला अभिलेखीय मानचित्र Archival Map Showing Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh	44
अनुलग्नक-IV Annexure-IV	लखनऊ महायोजना-2031 Lucknow Master Plan 2031	45
अनुलग्नक-IV(क) Annexure-IV(a)	लखनऊ महायोजना 2031–नियोजन खंड Lucknow Master Plan 2031–Regulation Zones	46
अनुलग्नक-IV(ख) Annexure-IV (b)	लखनऊ महायोजना-2031, नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर का भूमि उपयोग मानिचत्र Land-use Map of Lucknow Master Plan 2031, Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow	47
अनुलग्नक-V Annexure–V	संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों के चित्र Images of the Monument and its surrounding areas	48-51

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संरक्षित संस्मारकों **"नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, को राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम 2 द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 19.07.2021 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

"नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश" के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय 1
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को संरक्षित संस्मारकों **"नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2025 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारकों के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

1. इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारकों" से कोई संरचना, रचना या संस्मारकों, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

i. किसी प्राचीन संस्मारकों के अवशेष,

ii. किसी प्राचीन संस्मारकों का स्थल,

iii. किसी प्राचीन संस्मारकों के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारकों को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

iv. किसी प्राचीन संस्मारकों तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

i. उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

ii. उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.)''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) ''निर्माण'' से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(झ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारकों को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारकों के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ञ) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

i. संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

ii. प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(ठ) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ड) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ढ़) "संरक्षित संस्मारकों" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारकों अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(त) "पुन: निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(थ) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन: निर्माण नहीं होंगे।

2. इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958, यथा संशोधित, की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारकों की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन: निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन का ब्यौरा विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी स्थिति हो, को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और वह ऐसी भूमि पर ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा का कोई निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसी भी स्थिति हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारकों प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय 3

संरक्षित संस्मारकों – नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारकों का स्थान और अवस्थिति:

दो संरक्षित संस्मारकों, नादान महल और इब्राहिम चिश्ती का मकबरा, नादान महल मार्ग, यहियागंज, खजुहा, कुंदरी रकाबगंज, लखनऊ में नादान महल पार्क के भीतर स्थित हैं। इसके स्थान के भौगोलिक निर्देशांक हैं:

नादान महल: अक्षांश-26°51'16.3"N, देशांतर-80°54'39.4"E

इब्राहिम चिश्ती का मकबरा: अक्षांश-26°51'16.4"N, देशांतर:80°54'41.4"E

लखनऊ में प्रारंभिक मुगल (अकबरी) काल की वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण यह परिसर पारंपरिक मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसमें आर्केड और प्रोजेक्टिंग बालकनियों के साथ काफी दुकान-घर हैं। संरक्षित संस्मारकों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन लखनऊ जंक्शन है जो 2.9 किलोमीटर की दूरी पर है (स्टेशन रोड, सुभाष मार्ग और नादान महल मार्ग के माध्यम से)। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है जो 12.0 किलोमीटर की दूरी पर है (कानपुर रोड, तालकटोरा रोड, तुलसीदास मार्ग और नादान महल मार्ग के माध्यम से)।

एक और संरक्षित संस्मारकों है, जिसे चार खंबा के नाम से जाना जाता है, जो नादान महल और इब्राहिम चिश्ती के मकबरे के प्रतिषिद्धक्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में स्थित है।

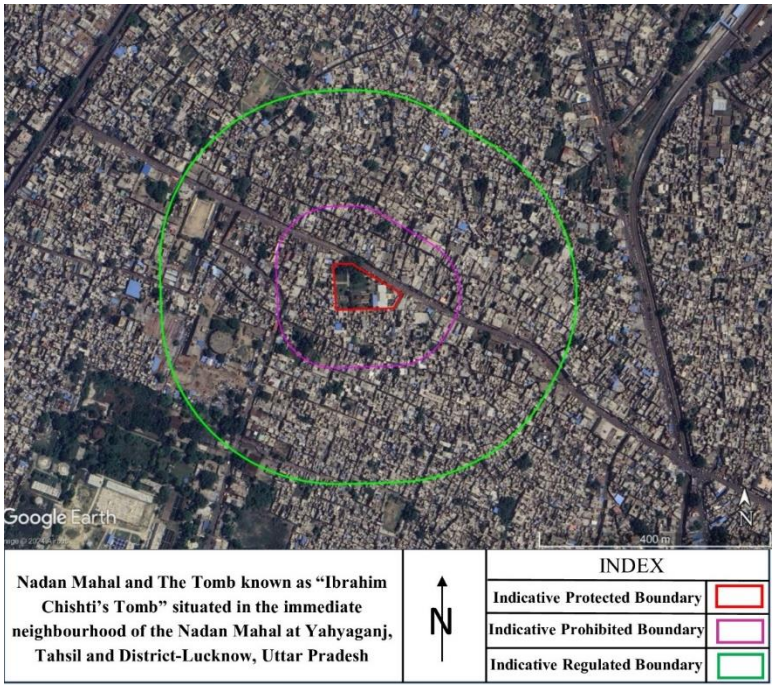

चित्र 1: संरक्षित संस्मारकों-नादान महल और मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती के मकबरे के नाम से जाना जाता है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के स्थान दर्शाने वाला उपग्रह चित्र

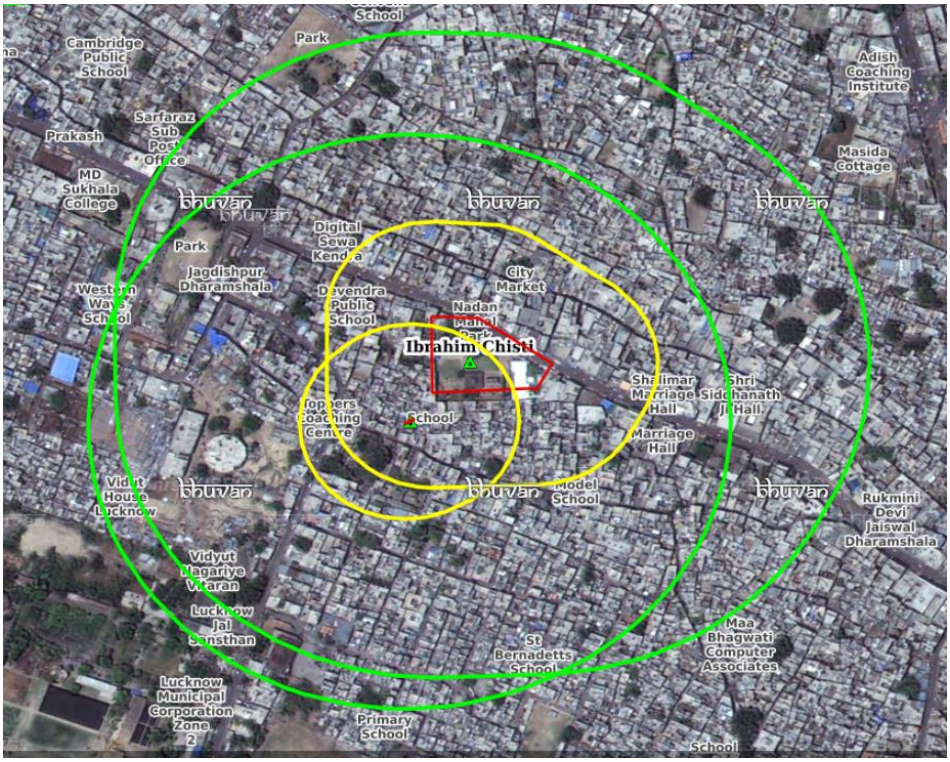

चित्र 2: संरक्षित संस्मारकों और अन्य संरक्षित संस्मारकों – निकट स्थित मकबरा जिसे चार खंबा के नाम से जाता जाता है, का उपग्रह चित्र (स्रोत: भुवन पोर्टल)

3.2 संरक्षित संस्मारको की संरक्षित सीमा:

संरक्षित संस्मारको नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संरक्षित सीमा **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

3.2.1 एएसआई रिकॉर्ड के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजपत्र अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक-II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारको का इतिहास:

नादान महल:

नादान महल एक मकबरा है जो मुगल सम्राट अकबर (1556-1605 ई.) के शासनकाल के दौरान अवध के सूबेदार और शेख इब्राहिम चिश्ती के बेटे शेख अब्दुर रहीम खान को समर्पित है। सम्राट ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें राज्य की तीन दिनों की आय के बराबर उपहार दिया। उन्होंने उन्हें कोराज और लखनऊ के परगना की जागीर भी दी। उनकी पत्नी किशना ने लखनऊ में महल, उद्यान और मकबरा बनवाया। शेख अब्दुर रहीम का मकबरा संगमरमर से बना है और गुंबद के केंद्र के

नीचे स्थित कुरान के शिलालेखों से सजाया गया है। शेख अब्दुर रहीम के पिता इब्राहिम चिश्ती का मकबरा नादान महल[1] के पूर्व में स्थित है।

इब्राहिम चिश्ती का मकबरा:

शेख 'अब्दुर रहीम' के पिता इब्राहिम चिश्ती (एक संत और मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान लखनऊ के पहले गवर्नर) का मकबरा भी इसी परिसर में नादान महल के पूर्व की ओर स्थित है। मकबरा उनके बेटे शेख अब्दुर रहीम खान ने बनवाया था। दक्षिणी प्रवेश द्वार पर नस्तालिक लिपि में लिखे फ़ारसी शिलालेख में इब्राहिम चिश्ती की मृत्यु का उल्लेख हिजरी 961 (1553-54 ई.)[2] में किया गया है।

3.4 संस्मारको का विवरण (वास्तुशिल्प विशेषताएँ, तत्व, सामग्री, आदि):

नादान महल:

नादान महल लाल बलुआ पत्थर से बना एक चौकोर मकबरा है, जिसमें बाहरी रूप से 8.01 मीटर का गुंबददार कक्ष है। कक्ष 2.74 मीटर चौड़े बरामदे से घिरा हुआ है। अंदर, दो संगमरमर की कब्रों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और एक लाल बलुआ पत्थर का क़ब्र का पत्थर मौजूद है। मूल रूप से 12 स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया एक खुला स्तंभ वाला मंडप, बाद में इसे ईंटों से घेर दिया गया था। दक्षिण को छोड़कर सभी तरफ़ जालीदार स्क्रीन के साथ खांचों को पीछे की ओर और पैनल किया गया है, जो मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कक्ष के फर्श को संगमरमर और रंगीन पत्थर की जड़ाई से सजाया गया है, जिसके किनारे सितारा पैटर्न से बने हैं। प्रत्येक बरामदे को सजावटी ब्रैकेट, लिंटेल और *छज्जों* के साथ चार स्तंभों द्वारा सहारा दिया गया है। गुंबद को एक उल्टे कमल[3] द्वारा ताज पहनाया गया है। उपरोक्त संरचना के अलावा, एक और सोलह-स्तंभ वाला मंडप है, जिसे लोकप्रिय रूप से *सोलह खंभा* के रूप में जाना जाता है, जो पूर्वी तरफ स्थित है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना एक ऊंचा मंच है, जिसमें विभिन्न आकारों की पाँच कब्रें हैं।

इब्राहिम चिश्ती का मकबरा:

इब्राहिम चिश्ती का मकबरा एक गुंबददार संरचना है जिसका बाहरी भाग 2.51 वर्ग मीटर है। कम गुंबद वाला कक्ष लखौरी ईंटों से बना है और बगल की दीवारें *कंकर* ब्लॉक से बनी हैं, जिन्हें चित्रित प्लास्टर से सजाया गया है। एक ऊंचे चबूतरे पर मकबरा के केंद्र में इब्राहिम चिश्ती की कब्र है। दक्षिणी प्रवेश द्वार पर नस्तालिक लिपि में एक फ़ारसी शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि इब्राहिम चिश्ती का निधन हिजरी 961 (1553-54 ई.) में हुआ था। स्थापत्य शैली दिल्ली[4] में अफ़गान-युग की संरचनाओं से काफी मिलती जुलती है।

[1] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ सर्कल)

[2] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ सर्कल)

[3] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ सर्कल)

[4] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ सर्कल)

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारको की स्थिति - स्थिति आकलन:

संरक्षित संस्मारकों और उसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का विशेष अधिकार क्षेत्र है। संरक्षित संस्मारकों की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुलग्नक-V** में संलग्न हैं।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या और कभी-कभी एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या:

यहां प्रतिदिन करीब 40-50 लोग आते हैं। ईद-उल-फितर और ईद-मिलाद-उन-नबी के मौके पर करीब 100-150 लोग नमाज अदा करने[5] के लिए मकबरे पर इकट्ठा होते हैं।

[5] भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (लखनऊ सर्कल)

अध्याय 4

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में मौजूदा ज़ोनिंग, यदि कोई हो

4.1 मौजूदा ज़ोनिंग:

लखनऊ महायोजना 2031, खंड 8.11.11 के अनुसार, लखनऊ विकास क्षेत्र को 31 विनियमन क्षेत्रों **(अनुलग्नक-IV क)** में विभाजित किया गया है। ये विनियमन क्षेत्र आम तौर पर समरूप क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सीमा तक ही सीमित हैं। महायोजना 2031 के अनुसार अलग-अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत विकास योजनाओं के प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के यहियागंज में नादान महल के निकटतम स्थित नादान महल और मकबरे का स्थल जिसे "इब्राहिम चिश्ती का मकबरा" के नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय योजना के **जोन 12** के अंतर्गत आता है।

4.2 स्थानीय निकायों के मौजूदा दिशानिर्देश:

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008; संशोधित 2016, 2018 खण्ड-3.1.9 (I) एवं (II), में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित घोषित संस्मारकों एवं धरोहर स्थलों के लिए पुरातत्व संस्मारकों/स्थलों की संरक्षित सीमा से 100 मीटर (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) की परिधि में कोई निर्माण एवं विकास की अनुमति नहीं है। तथा इसके आगे 200 मीटर (विनियमित क्षेत्र) तक निर्माण/विकास की अनुमति **प्राचीन संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, यथा संशोधित** के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त की जाएगी।

इसके अतिरिक्त **"लखनऊ महायोजना-2031"; खण्ड-8.11.9 (1) एवं (2)** में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों पर भारत सरकार के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे। जबकि शेष संस्मारकों के लिए कुछ प्रावधान बताए गए हैं, जो नीचे दिए अनुसार निर्दिष्ट हैं:

वास्तुशिल्प नियंत्रण:

संस्मारकों, ऐतिहासिक इमारतों के पास और मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण के लिए उनके वास्तुशिल्प/कलात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

योजना नियंत्रण:

राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्मारकों पर भारत सरकार के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय 5

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अभिलेख (रिकार्ड) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची नियम 21 (1)/सर्वेक्षण योजना के अनुसार सूचना

5.1 संरक्षित संस्मारकों की सर्वेक्षण योजना:

नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

क) संरक्षित क्षेत्र लगभग 1.621 एकड़ है।

ख) प्रतिषिद्ध क्षेत्र लगभग 16.068 एकड़ है।

ग) विनियमित क्षेत्र लगभग 78.748 एकड़ है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

उत्तर: आवास, दुकानें, मंदिर और एक गोदाम मौजूद हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में आवास, दुकानें, गुरुद्वारा, आश्रम और एक मस्जिद हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में आवास, पैथोलॉजी लैब, एटीएम और एक बैंक हैं।

पूर्व: आवास, दुकानें, दो वाणिज्यिक परिसर, दूरसंचार टावर और एक मस्जिद मौजूद है।

दक्षिण: आवास और मंदिर मौजूद हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में आवास, दुकानें, एक पुरानी इमारत, एक मंदिर और संरक्षित संस्मारकों चार खंबा मकबरा हैं। दक्षिण-पूर्व दिशा में आवास हैं।

पश्चिम: आवास, दुकानें, आश्रम और एक मंदिर मौजूद हैं।

विनियमित क्षेत्र:

उत्तर: आवास, मंदिर, मस्जिद, डाकघर और धर्मशाला मौजूद हैं। उत्तर-पूर्व दिशा में आवास, मंदिर, दुकानें और एक गुरुद्वारा हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में कुछ आवास, मंदिर, दुकानें और मस्जिद मौजूद हैं।

पूर्व: आवास, क्लिनिक, दुकानें, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला और बैंक मौजूद हैं।

दक्षिण: आवास, दुकानें, आश्रम, मस्जिद और एक व्यावसायिक परिसर मौजूद हैं। दक्षिण-पश्चिमी दिशा में आवास, रैन बसेरा, सिनेमा हॉल, दुकानें, मंदिर, मदरसा और विद्युत वितरण केंद्र के परिसर में कार्यालय हैं। दक्षिण-पूर्वी दिशा में आवास, दुकानें और एक मंदिर हैं।

पश्चिम: आवास, दुकानें, मदरसा, एक छोटा-सा कारखाना, मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला और एक बैंक मौजूद हैं।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

उत्तर: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई खुली जगह नहीं है। विनियमित क्षेत्र में नवरतन पार्क मौजूद है। उत्तर-पूर्वी दिशा में खाली जमीन के दो टुकड़े हैं।

पूर्व: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई खुली जगह नहीं है। विनियमित क्षेत्र में दो सार्वजनिक पार्क और खाली जमीन के कुछ टुकड़े हैं।

दक्षिण: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में एक पेड़ के साथ खाली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में मौजूदा इमारतों के बीच खाली जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े मौजूद हैं।

पश्चिम: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में एक खाली प्लॉट मौजूद है। विनियमित क्षेत्र में इस दिशा में एक सार्वजनिक पार्क स्थित है और मौजूदा मदरसे के पास खाली जमीन है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ आदि:

परिसर के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में, शहर की कई सड़कें और गलियाँ आस-पास के क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। नादान महल रोड, शंकर दयाल रोड, मुर्तजा हुसैन रोड और वाटर वर्क्स रोड जैसी प्रसिद्ध सड़कें प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जो संरक्षित संस्मारकों तक सुविधाजनक पहुँच प्रदान करती है।

5.2.5 भवनों की मौजूदा ऊंचाई (क्षेत्र-वार):

उत्तर: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी+2 से जी+3 मंजिलों तक है।

पूर्व: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी+2 से जी+3 मंजिलों तक है।

दक्षिण: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी+2 से जी+3 मंजिलों तक है।

पश्चिम: संरचनाओं/इमारतों की ऊंचाई जी+2 से जी+3 मंजिलों तक है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारकों और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में कोई भी राज्य संरक्षित संस्मारकों या सूचीबद्ध विरासत भवन नहीं है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

सार्वजनिक फर्नीचर, सार्वजनिक शौचालय और पेयजल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

5.2.8 संस्मारकों तक पहुंच:

संरक्षित संस्मारकों तक पहुंचने के लिए नादान महल मार्ग का उपयोग किया जाता है, जो उत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित एक पक्की सड़क है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

जल आपूर्ति और वर्षा जल निकासी की सुविधा उपलब्ध है। संरक्षित संस्मारकों को देखने आने वाले वाहनों को मुख्य सड़क के किनारे पार्क किया जाता है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित ज़ोनिंग:

लखनऊ महायोजना 2031, खण्ड 8.11.11 के अनुसार, लखनऊ विकास क्षेत्र को 31 विनियमन क्षेत्रों (**अनुलग्नक-IV क**) में विभाजित किया गया है। ये विनियमन क्षेत्र आम तौर पर समरूप क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सीमा तक ही सीमित हैं। महायोजना 2031 के अनुसार पृथक विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत विकास योजनाओं के प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के यहियागंज में नादान महल के निकटतम स्थित नादान महल और मकबरे का स्थल जिसे "इब्राहिम चिश्ती का मकबरा" के नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय योजना के **जोन 12** के अंतर्गत आता है। **जोन 12** के लिए क्षेत्रीय योजना लखनऊ महायोजना-2031, खण्ड 8.11.11.1 के अनुसार **चरण 3** में तैयार की जाएगी।

अध्याय 6

संस्मारकों का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

नादान महल:

नादान महल मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान अवध के सूबेदार शेख अब्दुर रहीम खान को समर्पित एक मकबरा है। संगमरमर से निर्मित, यह अपने जटिल कुरानिक शिलालेखों और सुरुचिपूर्ण डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। मकबरा एक चौकोर संरचना है जिसमें एक गुंबददार कक्ष और चारों ओर 2.74 मीटर का बरामदा है। संगमरमर की कब्रें और सजावटी सितारा-पैटर्न वाली जड़ाई मुगल काल की कलात्मक उत्कृष्टता को उजागर करती हैं। इसकी स्थापत्य विशेषताएं, जिसमें रिसेसड बे, जालीदार स्क्रीन और गुंबद पर उल्टा कमल का मुकुट शामिल है, मुगल शैली को दर्शाती हैं। यह मकबरा मुगल प्रशासन में एक प्रमुख व्यक्ति के दफन स्थल के रूप में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसका सम्राट अकबर के शासनकाल से मजबूत सांस्कृतिक संबंध है।

इब्राहिम चिश्ती का मकबरा:

नादान महल के पूर्व में स्थित इब्राहिम चिश्ती का मकबरा, उनके बेटे शेख अब्दुर रहीम खान द्वारा निर्मित एक गुंबददार संरचना है। *कंकर* ब्लॉक की दीवारों के साथ लखौरी ईंटों से बने इस मकबरे पर इब्राहिम चिश्ती की मृत्यु जो हिजरी 961 (1553-54 ई.) में अंकित है, का एक शिलालेख है। इसका ऐतिहासिक महत्व अकबर के अधीन लखनऊ के पहले गवर्नर इब्राहिम चिश्ती से इसके जुड़ाव और एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। फ़ारसी शिलालेख और डिज़ाइन विवरण इसके पुरातात्विक महत्व को बढ़ाते हैं, जो मुगल काल के दौरान क्षेत्र के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

6.2 संस्मारकों की संवेदनशीलता (विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

संरक्षित संस्मारकों प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हैं। पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम में खाली जमीन है, जबकि शेष दिशाओं में स्थानीय बस्तियाँ हैं। मौजूदा इमारतों के बीच जमीन के कुछ खाली टुकड़े हैं। जैसे-जैसे शहर का विस्तार होता है, इन टुकड़ों पर भविष्य में बस्तियाँ विकसित होने की संभावना है, जिससे शहरीकरण और विकास गतिविधियों के कारण अतिक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।

6.3 संरक्षित संस्मारकों या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र के उत्तर में स्थित नादान महल मार्ग से चारदीवारी और संरक्षित संस्मारकों दिखाई देते हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की अन्य दिशाओं में आधुनिक निर्माणों के कारण दृश्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

6.4 पहचान किया जाने वाला भूमि उपयोग:

लखनऊ महायोजना-2031 के अनुसार नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे “इब्राहिम चिश्ती का मकबरा” के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-

लखनऊ, उत्तर प्रदेश का भूमि उपयोग, संरक्षित सीमा, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को मिश्रित भूमि उपयोग 1 *मिश्रित भूमि उपयोग 1* और *निर्मित क्षेत्र* (विकसित क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। **अनुलग्नक-IV** और **IV(ख)** देखें।

6.5 संरक्षित संस्मारकों के अलावा अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्रों में अभी तक किसी ज्ञात पुरातात्विक विरासत के अवशेषों की सूचना नहीं है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

नादान महल पार्क और यहियागंज मोहल्ला लखनऊ के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिदृश्य हैं, जो इसकी ऐतिहासिक शहरी विरासत को दर्शाते हैं। नादान महल पार्क, अपने संरक्षित संस्मारकों के साथ, शहर की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यहियागंज मोहल्ला, अपनी पारंपरिक संरचनाओं और जीवंत समुदाय के साथ, लखनऊ के स्थापत्य और सामाजिक इतिहास को दर्शाता है। साथ में ये क्षेत्र इतिहास, वास्तुकला और स्थानीय परंपराओं को मिलाकर शहर की पहचान को आकार देते हैं।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और संस्मारकों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

विनियमित क्षेत्र के पश्चिम में खुली भूमि और सार्वजनिक पार्क संरक्षित संस्मारकों के लिए एक प्राकृतिक परिवेश बनाते हैं। नादान महल पार्क में बड़े पेड़ संस्मारकों को प्रदूषण से बचाने में मदद करते हैं।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

विनियमित क्षेत्र के पश्चिम और पूर्व में खुली जगह में एक सार्वजनिक पार्क और खाली जमीन शामिल है। निर्माण का उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

इब्राहिम चिश्ती के मकबरे के पास परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद में रोजाना नमाज़ अदा की जाती है।

6.10 संस्मारकों और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

संरक्षित संस्मारकों से पारंपरिक दुकानें, घर, रिहायशी और व्यावसायिक इमारतें दिखाई देती हैं। नादान महल का गुंबद विनियमित क्षेत्रों के पश्चिम में कुछ क्षेत्रों से दिखाई देता है। हालाँकि, संरक्षित संस्मारकों का क्षितिज अन्य दिशाओं से दिखाई नहीं देता है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

तेजी से हो रहे बदलावों के बावजूद, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर उत्तर की ओर जाने वाले मुख्य नादान महल मार्ग पर आर्केड और उभरी हुई बालकनियों वाली काफी पारंपरिक दुकानें हैं। आस-पास के यहियागंज मोहल्ले में भी ऐसी पारंपरिक दुकानों के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

इसे **अनुलग्नक-IV** में देखा जा सकता है। अलग-अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजनाएँ अभी तक प्राधिकारियों द्वारा तैयार नहीं की गई है।

6.13 अनुमेय भवन संबंधी मापदंड:

संरक्षित संस्मारकों - नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे **"इब्राहिम चिश्ती का मकबरा"** के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश अन्य संरक्षित संस्मारकों अर्थात् "चार खंबा के नाम से जाना जाने वाला मकबरा" के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है।

इसलिए संस्मारकों का विनियमित क्षेत्र "चार खंबा के नाम से जाना जाने वाला मकबरा" के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के साथ ओवरलैप होता है। किसी निर्माण स्थल के एक संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र और दूसरे संरक्षित संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में एक साथ पड़ने की स्थिति में, निर्माण स्थल को केवल प्रतिषिद्ध क्षेत्र में पड़ने वाला माना जाएगा और भवन-संबंधी मापदंड तदनुसार लागू होंगे। इसके अलावा, यदि निर्माण स्थल दो अलग-अलग संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में आता है तो प्रस्तावित निर्माण के कारण निर्माण स्थल के करीब स्थित संस्मारकों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को प्राथमिकता दी जाएगी।

6.13.1 मरम्मत और नवीनीकरण (प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में):

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुनः उपयोग की सामान्य रूप से अनुमति दी जा सकती है। हालाँकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच के अधीन होंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल है, की अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमज़ोर या असुरक्षित हो या जब उस पर किसी प्राकृतिक आपदा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो और नवीनीकरण अत्यंत आवश्यक हो। मूल इमारत शब्दावली और लेआउट के साथ-साथ निर्मित-खुले संबंधों का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति होगी।

भवन/संरचनाओं में मरम्मत और नवीनीकरण संरक्षित संस्मारकों और उसके आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के अनुरूप और उससे मेल खाता होना चाहिए। एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों को करने में स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

6.13.2 पुनर्निर्माण:

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है तथा विनियमित क्षेत्र में पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। किसी संरक्षित संस्मारकों या संरक्षित क्षेत्र

के प्रतिषिद्ध या विनियमित क्षेत्र में स्थित किसी भी प्रकार के भवन या सरंचना, जो प्राकृतिक आपदाओं से ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो गयी है, और जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, के मामले में पुनर्निर्माण की एएमएएसआर (विरासत उपनियमों का निर्धारण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त भवन अथवा संरचना के पुनर्निर्माण की अनुमति उसी सीमा तक दी जाएगी जितनी कि क्षति हुई है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। नई संरचना संरक्षित संसंस्मारकों के धरोहर क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

6.13.3 नया निर्माण:

6.13.3 क प्रतिषिद्ध क्षेत्र:

एएमएएसआर अधिनियम, 1958, यथा संशोधित, की धारा 20क(4) के अनुसार, संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर किसी भी सार्वजनिक कार्य या जनता के लिए आवश्यक परियोजना या अन्य निर्माण सहित किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13.3 ख विनियमित क्षेत्र:

“उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973” के अंतर्गत परिभाषित विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008, 2016 में संशोधित (खण्ड 1.1.1, 1.1.2, तथा 1.2.1) में निर्दिष्ट सभी विकास नियंत्रण मानदंड और भवन विनियम, जब भी संशोधित होंगे, लागू होंगे। हालाँकि, इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट ऊँचाई और अन्य मापदंड संरक्षित संस्मारकों के विनियमित क्षेत्र में लागू होंगे।

1. **स्थल पर नए निर्माण की ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित):**

   नए निर्माण या मौजूदा इमारतों में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए अधिकतम ऊंचाई सीमा **12.50 मीटर** से अधिक नहीं होगी (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक, मशीन कक्ष, एचवीएसी इकाई, सौर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली, टैरेस गार्डन की पेंटहाउस संरचना आदि या छत पर कोई अन्य सेवाएं सहित)।

   जहां तक संभव हो, बेसमेंट के निर्माण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

2. **उपयोग:**

   वर्तमान भूमि उपयोग को बरकरार रखा जा सकता है।

3. अग्रभाग डिजाइन:

(i) नए निर्माण का अग्रभाग डिजाइन न्यूनतम प्रकृति का होना चाहिए, ताकि यह संरक्षित संस्मारकों और आसपास के क्षेत्र की समग्र विरासत विशेषता पर हावी न हो। अग्रभाग का डिजाइन सूक्ष्म, प्लास्टर किया हुआ और मिट्टी के रंगों (सफेद, ग्रे, बेज, भूरा आदि) में रंगा हुआ होना चाहिए।

(ii) विनियमित क्षेत्र में स्थित सभी भवनों के लिए दुकानों और आवासों के अनौपचारिक विस्तार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

(iii) सभी ऐतिहासिक इमारतों और दुकान-घरों के अग्रभागों को मूल डिजाइन (ब्रैकेट, छज्जा, मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां आदि की श्रृंखला) के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

(iv) प्लंबिंग और बिजली की सेवाएं व्यवस्थित होनी चाहिए और इमारत के बाहरी हिस्से में नहीं होनी चाहिए।

4. छत का डिज़ाइन:

(i) क्षेत्र में समतल छत डिजाइन का पालन किया जा सकता है।

(ii) इमारतों की छत पर एल्युमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉलीकार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करके अस्थायी प्रकृति की संरचनाओं का निर्माण हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

(iii) सभी सेवाएँ जैसे कि बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयाँ, छत पर पानी के भंडारण टैंक या छत पर रखे गए बड़े जनरेटर सेट को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट, लौवर, जालियाँ या ऐसे अन्य डिज़ाइन तत्व) का उपयोग करके ढक दिया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

5. निर्माण सामग्री:

संरक्षित संस्मारकों के सभी सड़क के अग्रभागों पर निर्माण सामग्री और रंग में एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए। बाहरी सज्जा के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, ग्लास ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

6. रंग:

बाहरी रंग संरक्षित संस्मारकों के साथ सामंजस्य रखते हुए तटस्थ स्वर का होना चाहिए, जैसे कि बफ बलुआ पत्थर का रंग, सफेद, बेज और अन्य मिट्टी के रंग, जो संरक्षित संस्मारकों और उसके आसपास के वातावरण के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा न करें।

7. अन्य विनियम:

मेट्रो रेल सिस्टम (भूमिगत या एलिवेटेड), रेल या सड़क ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, बहु-स्तरीय पार्किंग सुविधाएं या इसी तरह की विकास परियोजनाओं और सार्वजनिक हित में संस्थागत भवनों के निर्माण या जो जनता के लिए आवश्यक हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव एक विस्तृत विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए)

रिपोर्ट के अधीन होंगे। ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाए कि वे संरक्षित संस्मारकों या उसके आस-पास के क्षेत्र के संरक्षण, सुरक्षा, संरक्षा, दृश्य अखंडता या पहुंच पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और प्रसाधन:

संरक्षित संस्मारकों के आसपास व्यवहार्यता के अनुसार अतिरिक्त आगंतुक सुविधाओं और सुख-सुविधाओं पर विचार किया जा सकता है।

अध्याय 7

स्थल विशिष्ट सिफारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

i. संरक्षित संस्मारकों या उसके आस-पास के क्षेत्रों में एलईडी या डिजिटल साइन, प्लास्टिक फाइबर ग्लास या किसी अन्य अत्यधिक परावर्तक सिंथेटिक सामग्री का उपयोग साइनेज के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

ii. संरक्षित संस्मारकों के पास, विशेष रूप से संरक्षित संस्मारकों की दीवारों पर होर्डिंग, बिलबोर्ड और पोस्टर के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

iii. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और कंपन के कारण संरक्षित संस्मारकों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित संस्मारकों के आसपास आवागमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

iv. वर्षा जल संचयन जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

7.2 अन्य सिफारिशें:

i. जब भी मास्टर प्लान तैयार किया जाता है तत्पश्चात उसमें संशोधन किया जाता है तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के सभी संरक्षित संस्मारकों और इन संरक्षित संस्मारकों के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

ii. क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

iii. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसरों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, read with Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-Laws for the Protected Monuments **"Nadan Mahal and The Tomb known as "Ibrahim Chishti's Tomb" situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh"** prepared by the Competent Authority and in consultation with the School of Planning & Architecture, New Delhi, were published on 19.07.2021 as required by sub-rule 2 of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended, the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:

Heritage Bye-Laws for "Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh"

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1.1 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2025 of Protected Monuments **"Nadan Mahal and The Tomb known as "Ibrahim Chishti's Tomb" situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh"**.

(ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the Protected Monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient Monuments" means any structure, erection or Monuments, or any tumulus or place of interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes -

(i) the remains of an ancient Monuments,

(ii) the site of an ancient Monuments,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient Monuments as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such Monuments, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient Monuments,

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area,

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, as amended,

(d) "Archaeological Officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20F of the Act,

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E,

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or, the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public,

(h) "Government" means The Government of India,

(i) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a Protected Monuments, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a Protected Monuments or of securing convenient access thereto,

(j) "owner" includes:

(i) A joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and

(ii) Any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in- office of any such manager or trustee,

(k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act,

(l) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,

(m) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,

(n) "Protected Monuments" means any ancient Monuments which is declared to be of national importance by or under this Act,

(o) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,

(p) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,

(q) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER 2

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300 metres in all directions of the Protected Monuments. The 300 metres area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monuments and extending to a distance of 100 metres in all directions and (ii) the **Regulated Area,** the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of 200 metres in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), Archaeological Survey of India (ASI) and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-Laws:

Section 20E of the AMASR Act, 1958, as amended and Rule 22 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Protected Monuments. Ibid Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of Applicant:

Section 20C of the AMASR Act, 1958, as amended, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re- construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th day of June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER 3

Location and Setting of Protected Monuments of Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monuments:

The two Protected Monuments, Nadan Mahal and Ibrahim Chishti's Tomb are located within Nadan Mahal Park on Nadan Mahal Marg, Yahiyaganj, Khajuha, Kundari Rakabganj, Lucknow. The geographical coordinates of its location are:

Nadan Mahal: Latitude- 26°51'16.3"N, Longitude- 80°54'39.4"E.

Ibrahim Chishti's tomb: Latitude- 26°51'16.4"N, Longitude- 80°54'41.4"E.

The complex, significant for its Early Mughal (Akbari) period architecture in Lucknow, is surrounded by a traditional mixed-use area, characterized by significant shop-houses with arcades and projecting balconies. The nearest railway station to the Protected Monuments is the Lucknow Junction at a distance of 2.9 kilometres (via Station Road, Subhash Marg and Nadan Mahal Marg). Chaudhary Charan Singh International Airport is the nearest airport at a distance of 12.0 kilometres (via Kanpur Road, Talkatora road, Tulsi das Marg and Nadan Mahal Marg).

There is another Protected Monuments, the Tomb known as Char Khamba, situated in the South-Western direction of the Prohibited Area of Nadan Mahal and Ibrahim Chishti's Tomb.

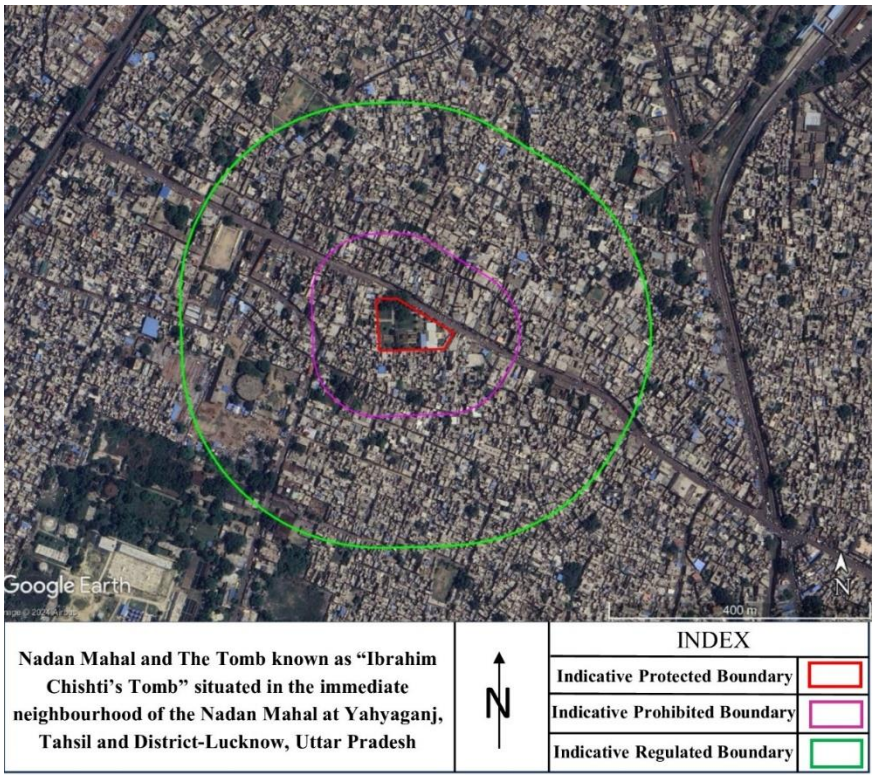

Figure 1: Satellite Image showing location of Protected Monuments–Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb, Lucknow, Uttar Pradesh

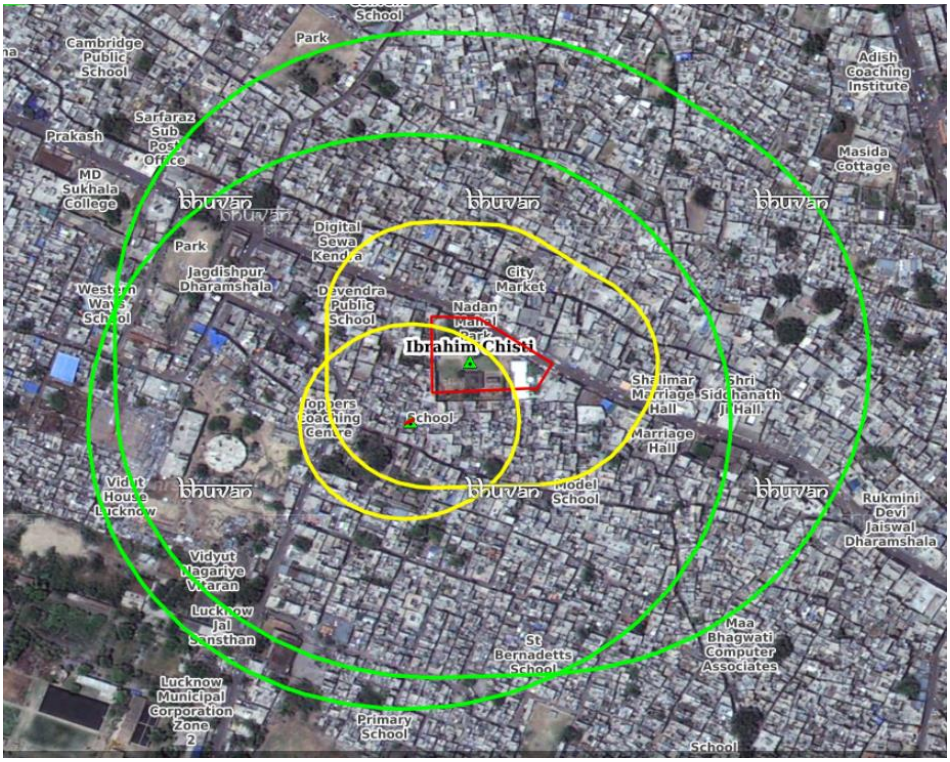

Figure 2: Satellite Image of the Protected Monuments and other Protected Monuments-The Tomb known as Char Khamba in the vicinity. (Source: Bhuvan Portal)

3.2 Protected boundary of the Monuments:

The Protected Boundaries of the Protected Monuments Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Gazette Notification of Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-II**.

3.3 History of the Monuments:

Nadan Mahal:

Nadan Mahal is a tomb dedicated to Shaikh Abdu-r-Rahim Khan, the Subedar of Awadh during the reign of Mughal emperor Akbar (1556-1605 CE) and the son of Shaikh Ibrahim Chishti. The emperor rewarded him for his services with a gift equivalent to three days' income of the Kingdom. He also granted him the jagir of the Parganas of Koraj and Lucknow. His wife, Kishna, built the palace, gardens and mausoleum in Lucknow. The tomb of Shaikh Abdu-r-Rahim is made of marble and is elaborately decorated with inscriptions from the Quran, lying beneath the center of

the dome. The tomb of Ibrahim Chishti, the father of Shaikh Abdu-r-Rahim, is located to the East of Nadan Mahal.[1]

Ibrahim Chishti's tomb:

The tomb of Ibrahim Chishti (a saint and the first governor of Lucknow during the rule of the Mughal Emperor Akbar), the father of Shaikh 'Abdu-r-Rahim' also stands within the same premises, towards the East of the Nadan Mahal. The Tomb was built by his son Shaikh Abdu-r-Rahim Khan. The Persian epigraph at the Southern entrance, written in Nastalik script, mentions the death of Ibrahim Chishti in AH 961 (1553-54 CE).[2]

3.4 Description of Monuments (architectural features, elements, materials, etc.):

Nadan Mahal:

The Nadan Mahal is a square tomb made of red sandstone, with a domed chamber measuring 8.01 metres externally. The chamber is surrounded by a 2.74 metres wide verandah. Inside, two marble graves are inscribed with Quranic verses and a red sandstone headstone is present. Originally an open pillared pavilion supported by 12 pillars, it was later enclosed with bricks. The bays are recessed and paneled, with lattice screens on all sides except the South, which serves as the main entrance. The chamber floor is decorated with marble and colored stone inlays, bordered with star patterns. Each verandah is supported by four pillars with decorative brackets, lintels and *chajjas*. The dome is crowned by an inverted lotus.[3] In addition to the above structure, there is another sixteen-pillared pavilion, popularly known as *Solah Khamba*, located on the Eastern side. It is a raised platform made of red sandstone, containing five graves of different sizes.

Ibrahim Chishti's tomb:

Ibrahim Chishti's tomb is a domed structure measuring 2.51 square metres externally. The low-domed chamber is made of lakhauri bricks and the side walls are built with *Kankar* blocks, decorated with painted plaster. Elevated on a platform, the tomb houses Ibrahim Chishti's grave at the center. The Southern entrance features a Persian epigraph in Nastalik script, stating that Ibrahim Chishti passed away in AH 961 (1553-54 CE). The architectural style closely resembles Afghan-era structures in Delhi.[4]

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Monuments - condition assessment:

The maintenance and preservation of the Protected Monuments is the exclusive domain of Archaeological Survey of India. The photographs depicting the present condition of the Protected Monuments are appended in **Annexure-V**.

[1] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)
[2] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)
[3] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)
[4] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The daily foot-fall is about 40-50 visitors per day. On the occasions of Eid- ul-Fitr and Eid-Milad-un-Nabi, about 100-150 people gather at the tomb to offer prayers.[5]

[5] Archaeological Survey of India (Lucknow Circle)

CHAPTER 4

Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans

4.1 Existing Zoning:

As per the Lucknow Master Plan 2031, clause 8.11.11, the Lucknow development area has been divided into 31 Regulation Zones (**Annexure-IV-a**). These Regulation Zones are generally confined to the boundary of the main roads of the homogeneous area. The proposals for the detailed development plans of the individual regulation zones are yet to be prepared as per the Master Plan 2031.

The site of the Nadan Mahal and The Tomb known as "Ibrahim Chishti's Tomb" situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh falls under the **Zone 12** of the Zonal Plan.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

In the **Development authority building construction and development sub method - 2008; Revised 2016, 2018 clause – 3.1.9 (I) & (II)**, it is stated that for the Monuments and Heritage Sites declared protected by the Central Government, no construction and development is allowed in a periphery of 100 metres (Prohibited Area) from the protected boundary of the archaeological Monuments/sites. And, beyond it, up to 200 metres (Regulated Area), the permission for construction / development will be obtained from Aarchaeological Survey of India as per **The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remain Act, 1958, as amended.**

Further, in the **"Lucknow Maha Yojana–2031"; clause–8.11.9 (1) & (2)**, it is stated that, the relevant provisions of the Government of India will be applicable on Monuments of national importance. While for the remaining Monuments, some provisions are mentioned which are specified as:

Architectural Control:

Construction near the Monuments, historical buildings and along the main roads will need approval in context with their architectural/artistic perspectives.

Planning Control:

The relevant provisions of the Government of India shall be applicable on the Monuments declared of national importance.

CHAPTER 5

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ Survey Plan of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records

5.1 Survey Plan of Monuments:

Survey Plan of Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh, Uttar Pradesh may be seen at **Annexure-I**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

Protected Area is approximately 1.621 Acres.

Prohibited Area is approximately 16.068 Acres.

Regulated Area is approximately 78.748 Acres.

5.2.2 Description of built-up area:

Prohibited area:

North: Residences, shops, temples and a godown are present. In the North-Eastern direction, there are residences, shops, gurudwara, ashram and a mosque. In the North-Western direction, there are residences, pathology lab, ATM and a bank.

East: Residences, shops, two commercial complexes, telecommunication tower and a mosque are present.

South: Residences and temples are present. In the South-Western direction, there are residences, shops, an old building, a temple and the Protected Monuments Char Khamba Tomb. In the South-Eastern direction, there are residences.

West: Residences, shops, ashram and a temple are present.

Regulated area:

North: Residences, temples, mosque, post office and dharamshala are present. In the North-Eastern direction, there are residences, temples, shops and a Gurudwara. A few residences, temples, shops and mosque are present in the North-Western direction.

East: Residences, clinic, shops, temple, mosque, dharamshala and bank are present.

South: Residences, shops, ashram, mosque and a commercial complex are present. In the South-Western direction, there are residences, night shelters, cinema hall, shops, temples, madrasa and offices in the premises of Vidhyut Vittran Kendra. In the South-Eastern direction, there are residences, shops and a temple.

West: Residences, shops, madrasa, a small-scale factory, temples, mosques, dharamshala, and a bank are present.

5.2.3 Description of green/open spaces:

North: In the Prohibited Area, there are no open spaces. In the Regulated Area, Navratan Park is present. In the North-Eastern direction, there are two patches of vacant land.

East: In the Prohibited Area, there are no open spaces. In the Regulated Area, there are two public parks and some patches of vacant land.

South: In the Prohibited Area, a small patch of vacant land with a tree is present. In the Regulated Area, small patches of vacant land are present between the existing buildings.

West: In the Prohibited Area, a vacant plot is present. In the Regulated Area, a public park is located in this direction and there is vacant land near an existing madrasa.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

In the Prohibited and Regulated Areas of the complex, several city roads and streets provide connectivity to the surrounding area. Famous roads such as Nadan Mahal Road, Shankar Dayal Road, Murtaza Hussain Road, and Water Works Road pass through both the Prohibited and Regulated Areas, offering convenient access to the Protected Monuments.

5.2.5 Existing Heights of buildings (Zone wise):

North: The height of the structures/buildings range from G+2 to G+3 floors.

East: The height of the structures/buildings range from G+2 to G+3 floors.

South: The height of the structures/buildings range from G+2 to G+3 floors.

West: The height of the structures/buildings range from G+2 to G+3 floors.

5.2.6 State Protected Monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There are no State Protected Monuments and listed Heritage Buildings present in the Prohibited and Regulated Area.

5.2.7 Public amenities:

Public furniture, public toilets and drinking water facilities are available.

5.2.8 Access to Monuments:

The Protected Monuments are accessed by Nadan Mahal Marg, a black top road present in the North and North-Eastern direction.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Water supply and storm water drainage is available. Vehicles visiting the Protected Monuments are parked along the main road.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

As per Lucknow Master Plan 2031, clause 8.11.11, the Lucknow Development Area has been divided into 31 Regulation Zones (**Annexure IV-a**). These Regulation Zones are generally confined to the boundary of the main roads of the homogeneous area. The proposals for the detailed development plans of the individual regulation zones are yet to be prepared as per the Master Plan 2031.

The site of Nadan Mahal and The Tomb known as “Ibrahim Chishti’s Tomb” situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh, falls under the **Zone 12** of the Zonal Plan. The Zonal Plan for the **Zone 12** will be prepared in **Phase 3** as per Lucknow Master Plan-2031, clause 8.11.11.1

CHAPTER 6

Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments

6.1 Architectural, Historical and Archaeological Value:

Nadan Mahal:

Nadan Mahal is a tomb dedicated to Shaikh Abdu-r-Rahim Khan, the Subedar of Awadh during the reign of Mughal Emperor Akbar. Built in marble, it is renowned for its intricate Quranic inscriptions and elegant design. The tomb is a square structure with a domed chamber and a surrounding 2.74 metres verandah. The marble graves and decorative star-patterned inlays highlight the artistic excellence of the Mughal period. Its architectural features, including recessed bays, lattice screens, and an inverted lotus crown on the dome, reflect the Mughal style. The tomb is historically significant as the burial site of a prominent figure in the Mughal administration, with strong cultural ties to the reign of Emperor Akbar.

Ibrahim Chishti's Tomb:

Ibrahim Chishti's tomb, located to the East of Nadan Mahal, is a domed structure built by his son, Shaikh Abdu-r-Rahim Khan. Made of Lakhauri bricks with *Kankar* block side walls, the tomb features an inscription marking Ibrahim Chishti's death in AH 961 (1553-54 CE). Its historical value lies in its association with Ibrahim Chishti, the first governor of Lucknow under Akbar, and its role as a significant religious and cultural site. The Persian epigraph and design details add to its archaeological importance, offering insights into the region's cultural and political landscape during the Mughal period.

6.2 Sensitivity of the Monuments (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The Protected Monuments are located in a densely inhabited area in both the Prohibited and Regulated Areas. To the West and South-West, there is vacant land, while the remaining directions are occupied by local settlements. Some vacant patches of land are scattered between the existing buildings. As the city expands, these patches are likely to be developed into future settlements, making them vulnerable to encroachment due to urbanization and development activities.

6.3 Visibility from the Protected Monuments or Area and visibility from Regulated Area:

The boundary wall and the Protected Monuments are visible from the Nadan Mahal Marg present in the North of the Prohibited Area. In other directions of the Prohibited and Regulated Areas, visibility is completely lost due to modern constructions.

6.4 Land-use to be identified:

According to the Lucknow Master Plan-2031, the land use of Nadan Mahal and The Tomb known as "Ibrahim Chishti's Tomb" situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh,

Protected Boundary, Prohibited and Regulated Areas are designated as *(Mishrit Bhu Upyog 1* (Mixed Land use 1) and *Nirmit Chhetra* (Developed Area/Built-Up Area). Refer **Annexure-IV & IV (b**).

6.5 Archaeological heritage remains other than Protected Monuments:

There are no known archaeological heritage remains reported as yet in the Prohibited and Regulated Areas of the Protected Monuments.

6.6 Cultural landscapes:

Nadan Mahal Park and Yahiyaganj mohalla are crucial cultural landscapes of Lucknow, reflecting its historic urban heritage. Nadan Mahal Park, with its Protected Monuments, symbolizes the city's cultural identity. Yahiyaganj mohalla, with its traditional structures and vibrant community, showcases Lucknow's architectural and social history. Together, these areas blend history, architecture and local traditions, shaping the city's identity.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting Monuments from environmental pollution:

The open land and public park to the West of the Regulated Area form a natural setting for the Protected Monuments. Large trees in Nadan Mahal Park help protect the Monuments from pollution.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open space to the West and East of the Regulated Area includes a public park and vacant land. The constructions are used for residential, commercial, public and religious purposes.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

Daily prayers are offered in a mosque located inside the complex, near Ibrahim Chishti's Tomb.

6.10 Skyline as visible from the Monuments and from Regulated Areas:

Traditional shop-houses, residential and commercial buildings are visible from the Protected Monuments. The dome of Nadan Mahal is visible from certain areas to the West of the Regulated Areas. However, the skyline of the Protected Monuments is not visible from other directions.

6.11 Traditional Architecture:

Despite rapid transformation, the main Nadan Mahal Marg to the North, within the Prohibited Area, features notable traditional shop-houses with arcades and projecting balconies. The surrounding Yahiyaganj mohalla also showcases numerous examples of such traditional shop-houses.

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

It may be seen at **Annexure-IV**. Detailed Zonal Development Plans of the individual regulation zones are yet to be prepared by the Authorities.

6.13 Permissible Building related parameters:

The Protected Monuments Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh is located in close vicinity to other Protected Monuments namely **"Tomb known as Char Khamba"**.

Hence the Regulated Area of the Monuments overlap with the Prohibited and Regulated Areas of the "Tomb known as Char Khamba". In the event of a site of construction simultaneously falling in the Prohibited Area of one Protected Monuments and the Regulated Area of another Protected Monuments, the site of construction shall be deemed to be falling in the Prohibited Area alone and the building-related parameter shall be applicable accordingly. Further, if a site of construction falls in the Regulated Area of two separate Monuments, the likely adverse impact on account of the proposed construction on the Monuments which is closer to the site of construction, shall be given precedence.

6.13.1 Repair and Renovation (in Prohibited and Regulated area):

Internal changes and adaptive reuse may be generally permitted. However, external changes shall be subject to detailed scrutiny by the Competent Authority. Such changes which include retrofitting/renovation may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been adversely impacted by any natural calamity and renovation is absolutely necessary. Original building vocabulary and layout along with built-open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permissible, subject to prior permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in building/structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding areas. New cladding materials like Aluminum Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling or glazing will not be permitted. Use of locally available building material should be encouraged in carrying out repair and renovation works.

6.13.2 Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958, as amended. Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20C(2) of the AMASR Act, 1958, as amended, and Rule 6 (IV) and Rule 7 AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011. In case of any type of building or structure located in the Prohibited or Regulated Area of the Protected Monuments or Protected Area, collapsed or damaged and found beyond repair due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of AMASR (Framing of heritage Bye-Laws and other functions of the

Competent Authority) Rules, 2011. Reconstruction of building or structure damaged due to natural calamity shall be permissible only to the extent it is damaged. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates will not be permissible. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the Protected Monuments and its surrounding area.

6.13.3 New Construction:

6.13.3 A Prohibited Area:

As per Section 20A(4) of AMASR Act, 1958, as amended, no new construction including carrying out any public work or project essential to the public or other construction, shall be permitted within the Prohibited Area of the Protected Monuments.

6.13.3 B Regulated Area:

All the development control norms and building regulations specified in the Development authority building construction and development sub method 2008, revised in 2016 (clause 1.1.1, 1.1.2, and 1.2.1) defined under the "Uttar Pradesh Municipal Planning and Development Act – 1973" as and when amended shall be applicable. However, the height and other parameters specified in this document shall be applicable in the Regulated Area of the Protected Monuments.

1. **Height of the new construction on the site (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, HVAC unit, solar panel, rain water harvesting system, penthouse structures of terrace garden etc.) or any other services on the roof:**

   The maximum height limit for new construction or additions/alteration to existing buildings shall not exceed **12.50 metres** (including mumty, parapet, water storage tank, machine room, generator room, HVAC unit, solar panel, rainwater harvesting system, penthouse structures of terrace garden and other similar structures) or any other services on the roof.

2. **Usage:**

   Present land use may be retained.

3. **Façade design:**

   (i) The façade design of new construction must be minimalistic in nature, so that it does not overpower the Protected Monuments and the overall heritage character of the surrounding area. The façade design should be subtle, plastered and painted in earthy colours (white, grey, beige, brown etc.)

(ii) Informal extensions of shops and residences are to be restricted for all the buildings located within Regulated Area.

(iii) Façades of all historic buildings and shop-houses need to be maintained as per original design (series of brackets, chajjas, arched doors, windows etc.).

(iv) Plumbing and electrical services shall be organized and not on the exterior of the building.

4. Roof design:

(i) Flat roof design in the area may be followed.

(ii) Erection of structures, even of temporary nature, using materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials should be discouraged on the roof of the buildings.

(iii) All services such as large air conditioning units, rooftop water storage tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets, louvres, jaalis or other such design elements). All of these services should be included in the maximum permissible height.

5. Building material:

Consistency in building materials and colour along all street façades of the Protected Monuments should be maintained. Modern building materials such as aluminium cladding, glass bricks and any other synthetic tiles or materials should be discouraged for exterior finishes. Traditional building materials such as brick and stone should be used.

6. Colour:

The exterior colour should be of a neutral tone in harmony with the Protected Monuments such as buff sandstone colour, white, beige and other earthy colours that do not create a harsh contrast with the Protected Monuments and its immediate surroundings.

7. Other Regulations:

Proposals for the construction of large-scale public infrastructure projects such as Metro Rail Systems (underground or elevated), rail or road over bridges, flyovers, multi-level parking facilities, or similar development projects and construction of institutional buildings in public interest or which are essential for public, shall be subject to a detailed Heritage Impact Assessment (HIA) report. Such projects may be considered only if it is clearly established that they will not cause any significant adverse impact on the preservation, safety, security, visual integrity or accessibility of the Protected Monuments or its immediate surroundings.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Additional visitor facilities and amenities may be considered in the vicinity of the Protected Monuments as per feasibility.

CHAPTER 7

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

i. LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material should not be used for signages in the vicinity of the Protected Monuments or its immediate surrounding areas.

ii. No advertisements in the form of hoardings, bill-boards and posters should be permitted near the Protected Monuments, especially on the boundaries of the Protected Monuments.

iii. Use of Eco-Friendly vehicles for movement in the vicinity of the Protected Monuments may be encouraged to mitigate adverse impact on the Protected Monuments due to vehicular emissions and vibrations.

iv. Construction of green buildings including best practices like rainwater harvesting should be encouraged.

7.2 Other recommendations:

i. Whenever the Master Plan, Zonal Plan, or Development Plan is prepared or subsequently amended, it should clearly show all Protected Monuments of national importance and their Prohibited and Regulated Areas.

ii. The area should be declared as Plastic and Polythene free zone.

iii. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://nidm.gov.in/PDF/pubs/NDMA/20.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
ANNEXURE–I

नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सर्वेक्षण योजना

Survey Plan of Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh

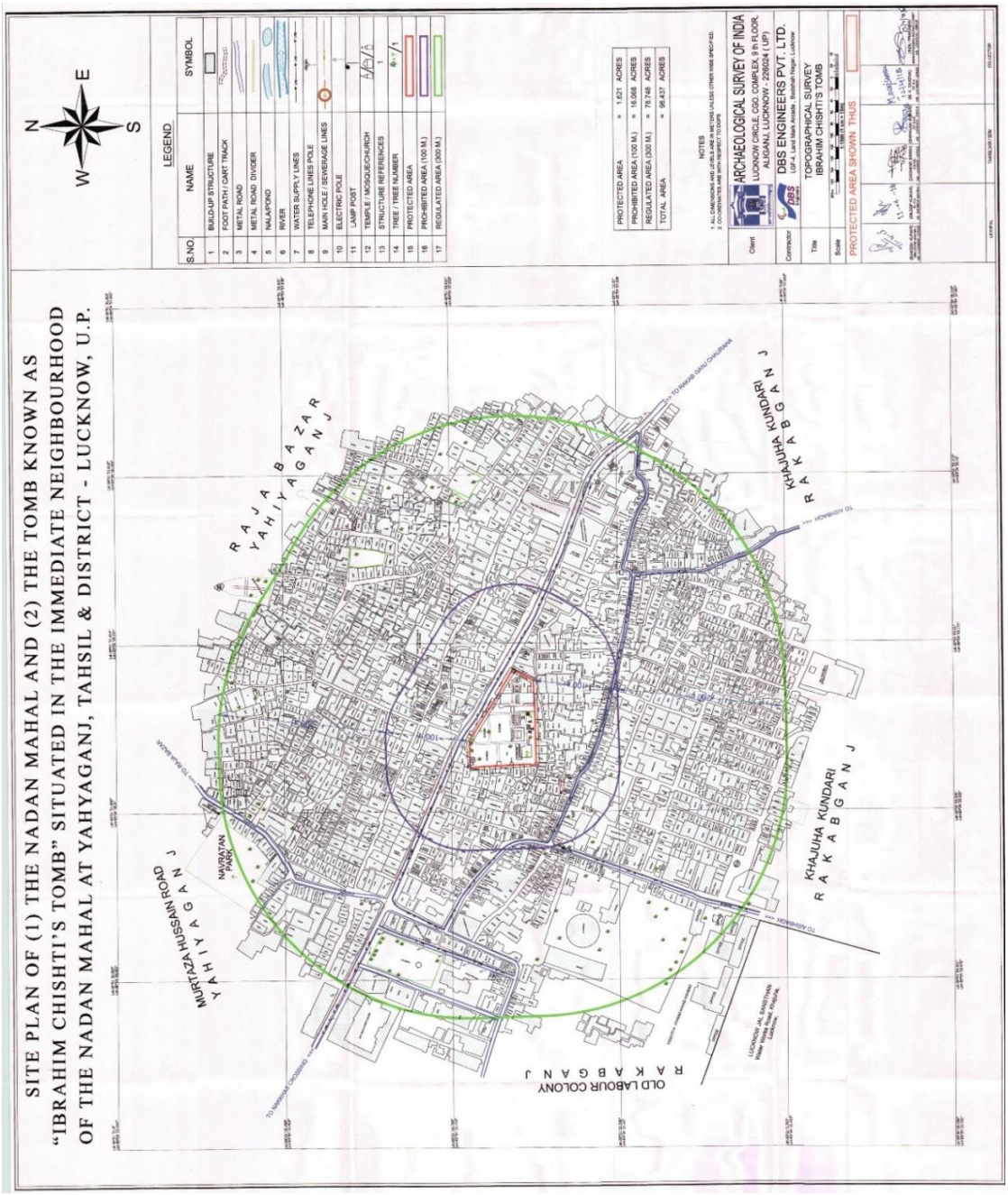

अनुलग्नक-II
ANNEXURE–II

संस्मारकों की अधिसूचना
Notification of the Monuments

मूल अधिसूचना I
Original Notification I

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.
Dated Naini Tal, the 15th July 1910.

No. 127ब - 367/M.- In exercise of the powers conferred by section 3(3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no. 899-M/367, dated the 3rd May 1910, published at page 416, Part I of the United Provinces Gazette of the 7th May 1910 declaring the Nandan Mahal situated in muhalla Yahyaganj, City Lucknow, tahsil Lucknow, in the Lucknow district, as protected under the said Act.

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,

C.E.V. GOUMENT,

Secretary to Government, United Provinces.

मूल अधिसूचना II

Original Notification II

UNITED PROVINCES.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.
Dated Naini Tal, the 18th May 1911.

No. 699M/367.- In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section 3, of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no. 193M/367, dated the 9th February 1911, published at page 174, Part I, of the United Provinces Gazette of 11th February 1911, declaring the tomb known as "Ibrahim Chishti's tomb" situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Lucknow city, tahsil Lucknow, in the Lucknow district, as protected under the said Act.

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces,

W.G. WOOD,

Offg. Secretary to Government, United Provinces.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रतिलिपि I
Typed copy of Original Notification I

PUBLIC WORK DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 15th July, 1910.

No. 1279 – 367/M. – In exercise of the powers conferred by section 3(3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no.899-M/367,dated the 3rd May, 1910, published at page 416, Part I of the United Provinces Gazette of the 7th May, 1910, declaring the **Nandan Mahal situated in muhalla Yahyaganj, City Lucknow, tahsil Lucknow, in the Lucknow district,** as protected under the said Act.

By order of the Hon'ble the Lieut. - Govr., United Provinces,

C.E.V. GOUMENT,
Secretary to Government, United Provinces.

मूल अधिसूचना की टंकित प्रतिलिपि II
Typed copy of Original Notification II

UNITED PROVINCES.

PUBLIC WORK DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 18th May, 1911.

No. 699/367. – In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section 3, of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no.193M/367, dated the 9th February, 1911, published at page 174, Part I of the United Provinces Gazette of the 11th February, 1911, declaring the tomb known as **"Ibrahim Chishti's tomb" situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Lucknow city, tahsil Lucknow, in the Lucknow district**, as protected under the said Act.

By order of the Hon'ble the Lieut. - Govr., United Provinces,

W.G. WOOD,
Offg. Secretary to Government, United Provinces.

अनुलग्नक-III
ANNEXURE–III

नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दर्शाने वाला अभिलेखीय मानचित्र

Archival Map Showing Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh

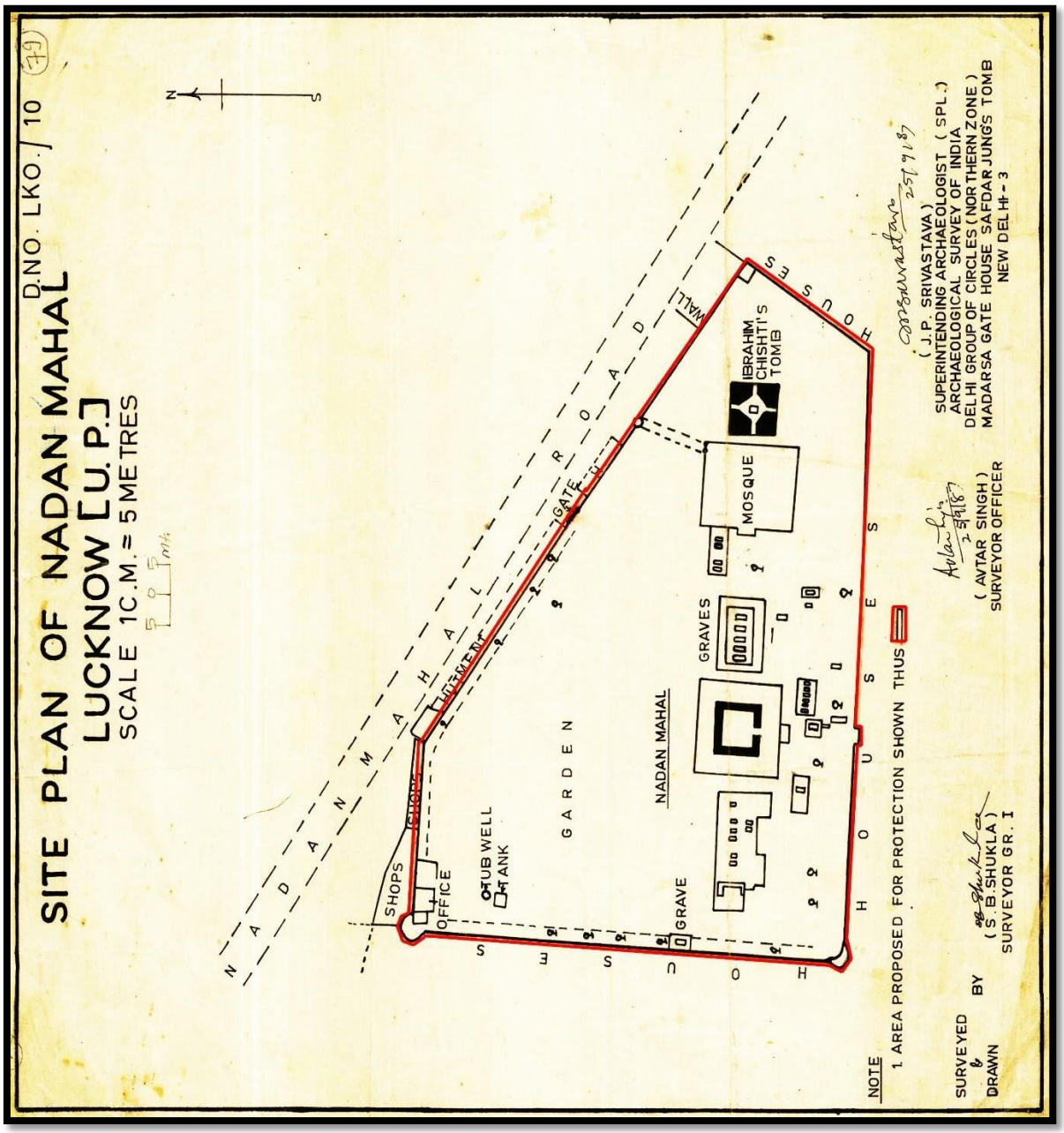

अनुलग्नक-IV
ANNEXURE-IV

लखनऊ महायोजना-2031
Lucknow Master Plan-2031

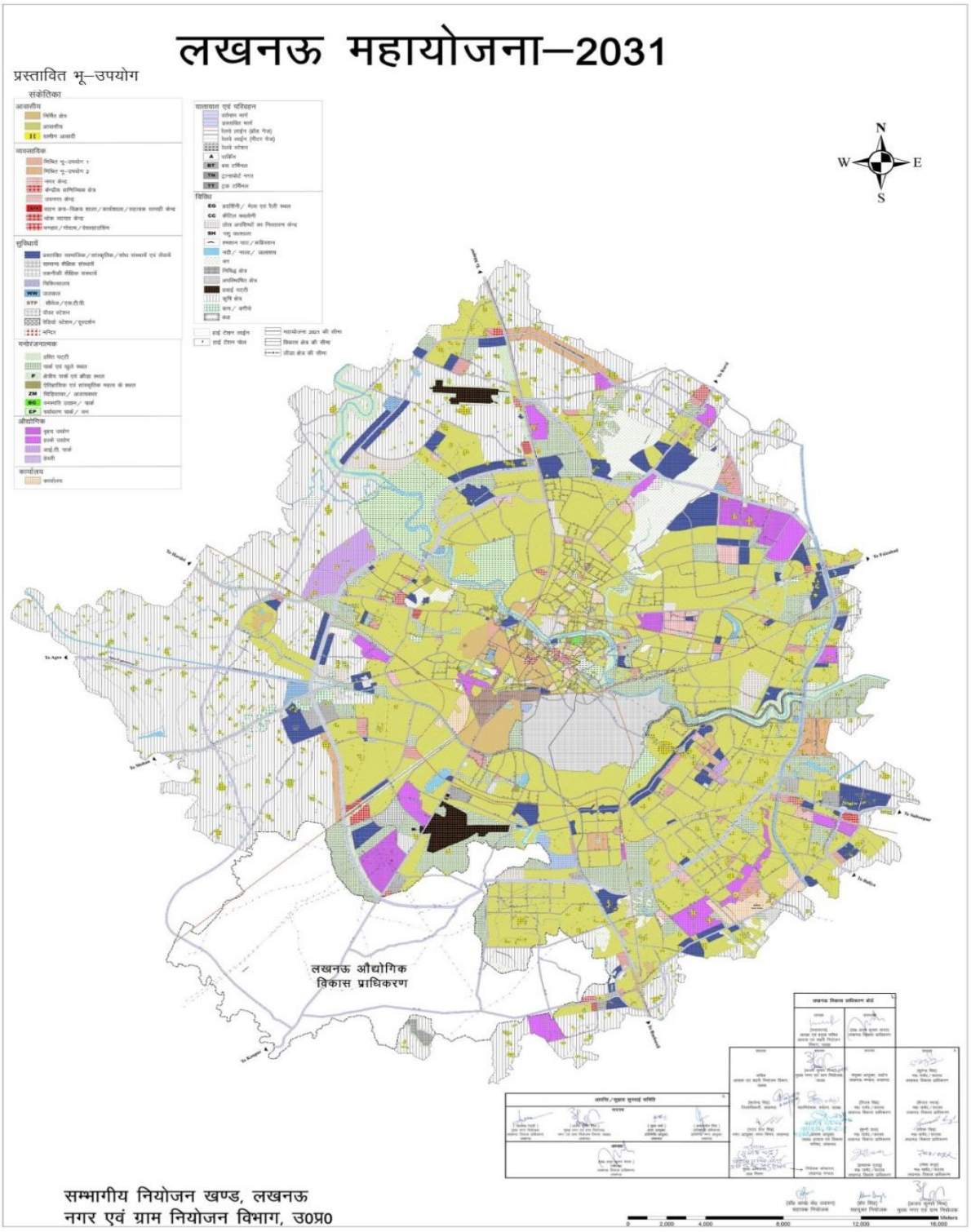

अनुलग्नक-IV(क)

ANNEXURE-IV(a)

लखनऊ महायोजना 2031–नियोजन खंड
Lucknow Master Plan 2031–Regulation Zones

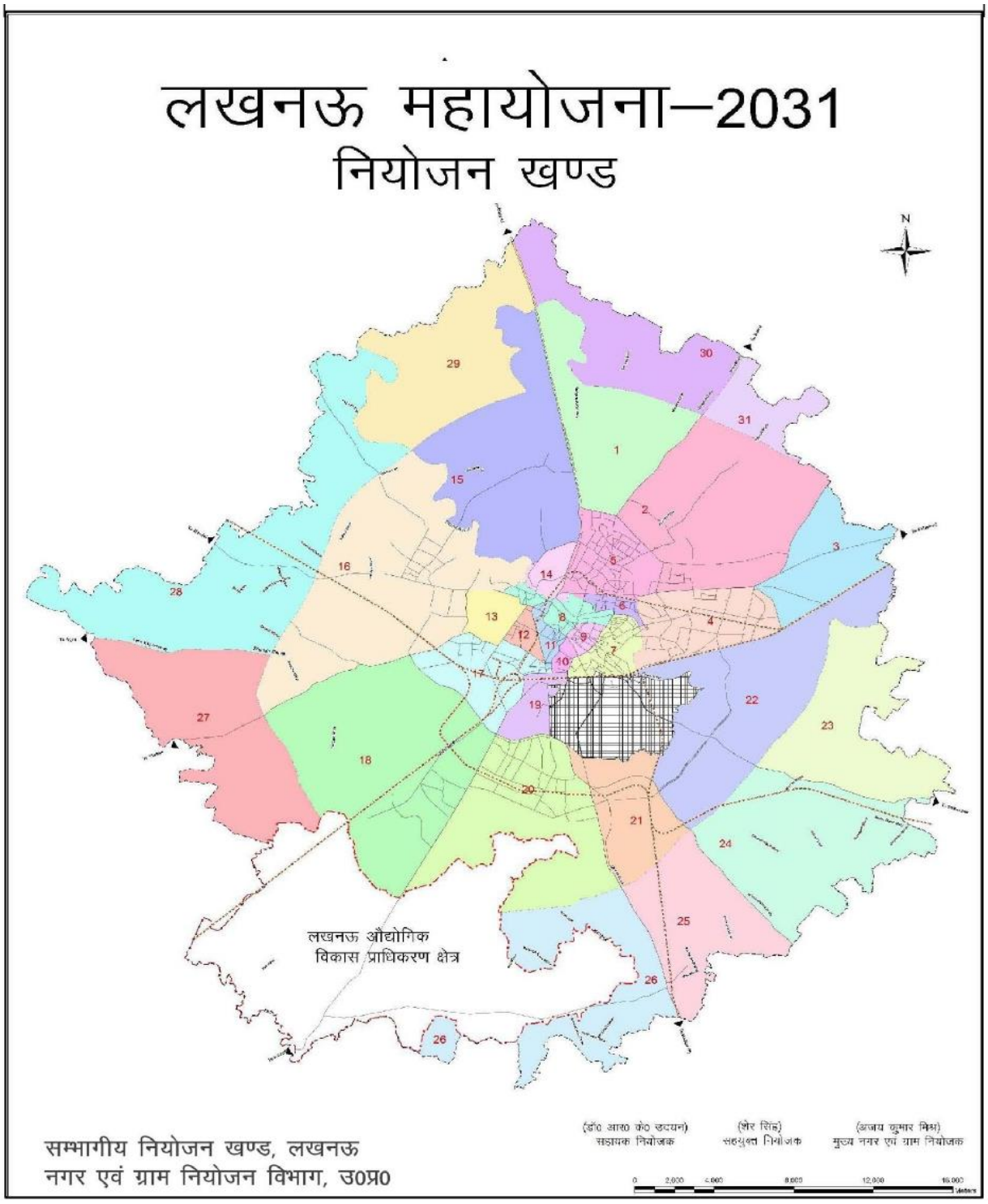

अनुलग्नक-IV(ख)
ANNEXURE-IV(b)

लखनऊ महायोजना-2031, नादान महल और नादान महल के निकटतम स्थित मकबरा जिसे इब्राहिम चिश्ती का मकबरा के नाम से जाना जाता है, यहियागंज, तहसील और जिला-लखनऊ, उत्तर का भूमि उपयोग मानिचत्र

Land-use Map of Lucknow Master Plan 2031, Nadan Mahal and The Tomb known as Ibrahim Chishti's Tomb situated in the immediate neighbourhood of the Nadan Mahal at Yahyaganj, Tahsil and District-Lucknow, Uttar Pradesh

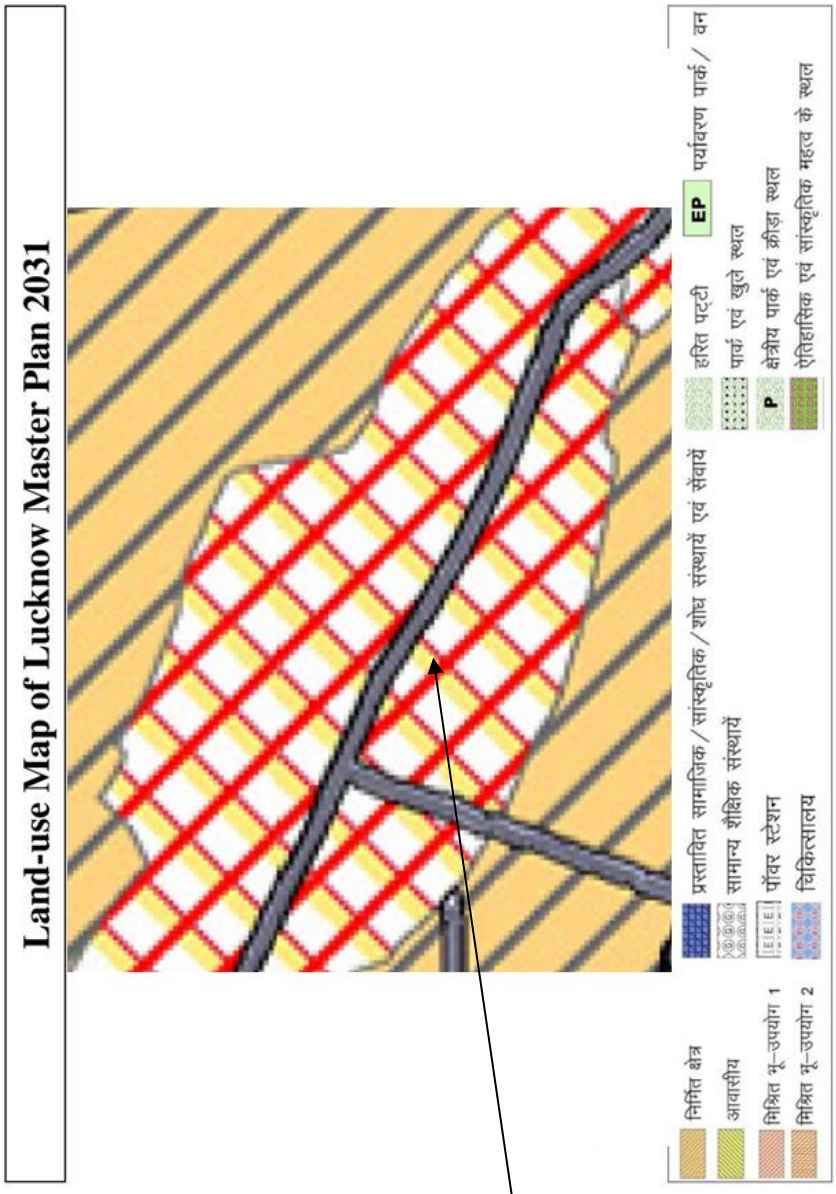

Nadan Mahal and Tomb of Ibrahim Chishti

अनुलग्नक-V
ANNEXURE–V

संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों के चित्र
Images of the Monument and its surrounding areas

चित्र 1: नादान महल और कब्रों वाले 16 स्तंभों वाले मंडप का दृश्य
Image 1: View of the Nadan Mahal and 16 pillared pavilion with graves

चित्र 2: संरक्षित संस्मारकों के परिसर में अतिरिक्त कब्रों का दृश्य
Image 2: View of additional graves within the premises of the Protected Monuments

चित्र 3: इब्राहिम चिश्ती का मकबरा
Image 3: Tomb of Ibrahim Chishti

चित्र 4: अन्य संरक्षित संस्मारक- चार खंबा मकबरा का दृश्य
Image 4: View of other Protected Monument- Char Khamba Tomb

चित्र 5: प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में मौजूद कई पारंपरिक घर
Image 5: A number of traditional houses are present within the Prohibited and Regulated Areas

चित्र 6: उत्तर की ओर विनियमित क्षेत्र का दृश्य
Image 6: View of Regulated Area towards North

चित्र 7: दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर विनियमित क्षेत्र का दृश्य
Image 7: View of Regulated Area towards South-Western direction

चित्र 8: पूर्वी दिशा की ओर विनियमित क्षेत्र का दृश्य
Image 8: View of Regulated Area towards Eastern direction